

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून

पत्रांक 358 / विधुत कार्य / नि0सू0 / 2022-23 दिनांक 25/07, 2022

ई-निविदा सूचना

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण में विधुत कार्य हेतु पंजीकृत/नवीनीकृत ठेकेदारों/ फर्मों से 02 विधुत कार्य हेतु ई-निविदा दिनांक 17.08.2022 को अपराह्न 2.00 बजे तक uktenders.gov.in की बैबसाईट में प्रतिभाग/अपलोड कर सकते हैं। विस्तृत विवरण प्राधिकरण की बैबसाईट mddaonline.in में भी दिया गया है। यदि उक्त निविदाओं के संबंध में किसी प्रकार के संशोधन आदि किये जाने की आवश्यकता होती है, तो उसकी सूचना उक्त बैबसाईट के माध्यम से दी जायेगी।

अधीक्षण अभियन्ता, म0दे0वि0प्राधिकरण देहरादून।

ई-निविदा सूचना

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण में विद्युत कार्य हेतु पंजीकृत ठेकेदारों/ फर्मों जो आयकर, व्यापार कर/जी0एस0टी0 देहरादून में भी पंजीकृत हो, ऐसे फर्म/ ठेकेदार नीचे वर्णित कुल 02 विकास कार्य को करने हेतु निविदा फार्म/ बिल ऑफ क्वान्टिटी के साथ संलग्नक में अंकित विशिष्टियों हेतु ई-निविदा दिनांक 16.08.2022 को अपरान्ह 2.00 बजे तक uktenders.gov.in की बैबसाईट में प्रतिभाग/अपलोड कर सकते हैं। प्राप्त ई निविदाओं को निविदा समिति /अधिकृत प्राधिकारी द्वारा दिनांक 17.08.2022 को सांय 2.00 बजे उपरान्त उपस्थित निविदादाताओं / प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी। नियत तिथि के उपरान्त प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। आगणन में अंकित विशिष्टियों की मात्रा पूर्णत अनुमानित है। इसमें परिवर्तन (घटत/बढत) सम्भावित है परन्तु भुगतान वास्तविक कार्य के माप/आंकलन के आधार पर किया जायेगा

इच्छुक प्राधिकरण में पंजीकृत ठेकेदार/फर्म द्वारा उक्त कार्य हेतु निविदा मूल्य रू0 1180/- (जी0एस0टी0 सहित) की धनराशि का पे-आर्डर जो सचिव, एम0डी0डी0ए0 के पक्ष में हो, एवं निर्धारित राशि की धरोहर राशि जो एफ0डी0आर0/ सी0डी0आर0 / एन0एस0सी0 के रूप में होगी, तथा अधीक्षण अभियन्ता, म0दे0वि0प्रा0 के नाम बन्धक होगी, को उक्त बैबसाईट में उक्त तिथि व समय तक निविदा प्रस्ताव के साथ स्कैन करना होगा तथा मूल प्रति उक्त तिथि दिनांक 17.08.2022 को अपरान्ह 2.00 बजे तक प्राधिकरण के सम्बन्धित अनुभाग में जमा करनी होगी। निर्धारित समय तक धरोहर राशि की एफ0डी0आर0 व निविदा मूल्य का ड्राफ्ट जमा न करने की दशा में उस फर्म की निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। अन्य शर्तें निविदा प्रपत्र, जी0 पी0 डब्लू0-9 एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा परफोरमेन्स, सिक्यूरिटी एवं जमानत राशि हेतु जारी शासनादेश संख्या शासनादेश संख्या 1197/II (2)/07-75(सामान्य)/II दिनांक 24-2-2014 एवं अन्य के अनुसार होगी। जी0एस0टी0 नियमानुसार देय होगी। समस्त निविदाओं की बैधता 90 दिन मान्य रहेगी।

क्र0सं0	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख में)	धरोहर राशि	समय माह में
1	सहारनपुर रोड में चन्द्रबनी चौक/सुभाषनगर से आशारोडी चौक पोस्ट तक डिवाइडर पर स्थापित स्ट्रीट लाईटों, एस0टी0 पोल, केबिल, इलैक्ट्रीक कन्ट्रोल पैनल बोर्ड आदि के रिपेयर का कार्य।	9.27	28,000.00	01
2	प्राधिकरण कार्यालय भवन में लगे सैन्ट्रल ए0सी0, कैसेट, टावर एण्ड स्पलीट ए0सी0 की तीन वर्ष की ए0एम0सी0 का कार्य।	30.41	1,50,000.00	36

अधीक्षण अभियन्ता

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून

प्रतिलिपि:-

- 1-सचिव, म0दे0वि0प्राधि0 देहरादून।
- 2-मुख्य लेखाधिकारी म0दे0वि0प्राधिकरण देहरादून।
- 3-सहायक अभियन्ता, म0दे0वि0प्राधिकरण, देहरादून।
- 4-नगर निगम/लोक निर्माण विभाग/जिला परिशद /सिचाई विभाग के नोटिस बोर्डों पर चस्पा हेतु।
- 5-नाजिर म0दे0वि0प्राधि0 को इस आशय से प्रेषित व दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराकर अखबार की प्रति इस अनुभाग को उपलब्ध करायेगें।
- 6- आई0टी0 अनुभाग को इस आशयसे कि विज्ञप्ति को बैबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- 7-प्राधिकरण नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
- 8-सम्बन्धित पत्रावली पर संलग्न करने हेतु।

अधीक्षण अभियन्ता

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण

सहारनपुर रोड़ में चन्द्रबनी चौक/सुभाषनगर से आशारोड़ी से चैक पोस्ट तक डिवाइडर में स्थापित स्ट्रीट लाईटों, एस0टी0 पोल, केबिल, इलैक्ट्रीक कन्ट्रोल पैनल बोर्ड आदि का रिपेरिंग का कार्य।


1. फर्म को उत्तराखण्ड में विद्युत सुरक्षा विभाग में विद्युत कार्यो हेतु (ए) श्रेणी में (चीफ
2. इलैक्ट्रीकल इंस्पेक्टर के लाइसेन्स)
3. फर्म को प्राधिकरण में विद्युत कार्यो हेतु पंजिकृत होना आवश्यक है।
4. फर्म के कर्मचारियों का ESI/EPF होना आवश्यक है।
5. किसी भी सरकारी एव अर्ध सरकारी संस्था में ब्लैक लिस्ट ना होने का एफिडेविट प्रस्तुत करना होगा।
6. कार्य स्वीकृत होने के उपरान्त स्वीकृत तिथि के तीन दिन के भीतर फर्म द्वारा उक्त कार्य हेतु अनुबन्ध सम्पादित कराना होगा।
7. पिछले तिन वर्ष 19-20, 20-21, 21-22 की आर0टी0आर0 प्रस्तुत करनी होगी।
8. यदि भविष्य में इस कार्य हेतु कोई मतभेद अथवा किसी प्रकार का विवाद होता है तो दोनो पक्ष उक्त विवाद को अपनी समझौते एवं वार्ता से सुलझायेंगे। यदि आपसी वार्ता से मतभेद नहीं सुलझते हैं तो इस प्रकरण के निस्तारण हेतु उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून आरबीट्रेटर नियुक्त होंगे। आरबीटेशन की प्रक्रिया देहरादून में ही सम्पन्न होगी।

Sansath
JE

U
RB

कार्यालय: मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
सैन्ट्रल ए0सी0 सिस्टम की 03 वर्ष की ए0एम0सी0 हेतु तकनीकी मापदण्डों की शर्तें

- 1- वी0आर0वी0 / वी0आर0एफ0 एअर कंडीशनर मूल निर्माता / अधिकृत विक्रेता का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
- 2- निविदादाता ने कम से कम तीन समान कार्यों को सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो (जिसमें एक राजकीय कार्य उत्तराखण्ड में होना आवश्यक है) और जिनमें एक कार्य की लागत निविदा के कार्य की लागत का 75 प्रतिशत होना आवश्यक है।
- 3- निविदादाता का पिछले पाँच वर्ष में कार्य की कुल लागत का प्रत्येक कार्य के लिये टर्न ओवर 3 गुणा होना आवश्यक है। (प्रमाण पत्र संलग्न करने होंगे)
- 4- पिछले चार वित्तीय वर्षों का समान कार्यों का लेखा जोखा चार्ट पंजीकृत चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा सत्यापित प्रुति संलग्न करनी होगी।
- 5- पेन कार्ड प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
- 6- इ0एस0आई0 प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
- 7- ई0पी0एफ0 प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
- 8- कम्पनी वैट पंजीकरण उत्तराखण्ड में होना आवश्यक है।
- 9- स्थानीय सेवा केन्द्र (सर्विस सेन्टर) देहरादून में होना आवश्यक है।
- 10- कार्य हेतु निविदादाता को अपने प्रतिनिधि का नाम, योग्यता एवं अनुभव विवरण देना होगा।
- 11- किसी भी सरकारी एवं अर्द्धसरकारी संस्था में ब्लैक लिस्ट ना होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 12- धरोहर राशि एफ0डी0आर0 के रूप में अधीक्षण अभियन्ता, एम0डी0डी0ए0 देहरादून के नाम बन्धक हो।
- 13- उपरोक्त सभी नियम एवं शर्तें सही पाये जाने पर ही सफल निविदादाताओं की फाईनेशियल बिड मान्य होगी।


23/04/22
56

अवर अभियन्ता, विधुत
एम0डी0डी0ए0



सहायक अभियन्ता
एम0डी0डी0ए0



अधीक्षण अभियन्ता,
एम0डी0डी0ए0